न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 136 / 2025 दायर दिनांक 14.10.2025
जीसीएमएस नं. 2025 / 168 फैसल दिनांक 24.10.2025

राज्य सरकार जरिये श्री प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

श्री संजय सेठीया, निवासी–डूंगरपुर हाल नृसिंहलाल सेठीया समोसे प्रताप चौराहा, डूंगरपुर

विपक्षी

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से – विभागीय पेरोकार
2. विपक्षीगण की ओर से – स्वयं

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए(1)(2), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा ''कन्जूमर केयर'' अभियान की निरन्तरता में दिनांक 01.09.2025 को जिले में विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक श्री हर्षिल कोडिया बहमराह श्री हिमांशु डामोर की संयुक्त टीम के साथ विपक्षी के **प्रतिष्ठान नृसिंह लाल सेठिया समोसे प्रताप चौराहा, डूंगरपुर** का औचक निरीक्षण करने पर **विपक्षी के प्रतिष्ठान पर 2 घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 11.8 कि.ग्रा. गैस का उपयोग करते हुए पाया गया।** जो घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग एवं एलपीजी गैस कंट्रोल आर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 की अवहेलना करना पाया जाने से संग्रहित 2 **घरेलु गैस सिलेण्डर मय 11.8 कि.ग्रा. गैस, मैसर्स शिवांग गैस एजेन्सी, के मेनेजर श्री सुरेश वैरागी** को बुलवाकर रूबरू मौतबिरान एवं उपस्थित के समक्ष सिलेण्डर्स के एसआर नंबर, ग्रोस वेट, टेयर वेट एवं गैस सिलेण्डर में संग्रहित गैस का वेईग मशीन से तौल करवाकर फर्द तल पट्टी अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगी तैयार की गई एवं 2 **घरेलु गैस सिलेण्डर मय 11.8 कि.ग्रा. गैस,** जब्त कर **मैसर्स शिवांग गैस एजेन्सी के मेनेजर श्री सुरेश वैरागी** को रूबरू मौतबिरान सुपुर्दगी में दिये जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए (1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए धारा–6ए(2) के तहत राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सुनवाई हेतु विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब पेश किया कि गलती से घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग अपने प्रतिष्ठान पर किया गया है। अतः दोबारा ऐसी गलती नही करने व जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस लौटाने निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रकरण में बहस समायत की गई। प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए जब्त शुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कार्यवाही ड्रॉप फरमाने निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में किये गये कथन व तथ्य मानने योग्य नहीं हैं। अतएव इनका जवाब अमान्य किया जाता है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी के प्रतिष्ठान की जांच में **2 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 11.8 कि.ग्रा. गैस का उपयोग करते हुए पाया गया।** विपक्षी का उक्त कृत्य एलपीजी गैस कंट्रोल आर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 अवहैलना होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी के **प्रतिष्ठान नृसिंह लाल सेठिया समोसे प्रताप चौराहा, डूंगरपुर** से संग्रहित **2, घरेलु गैस सिलेण्डर मय 11.8 कि.ग्रा. गैस** को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6ए (2) के तहत राजसात किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त **2 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 11.8 कि.ग्रा. गैस** का नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)